आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	सारण समाहरणालय, छपरा। **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्ति अपील सं0 32/2012** **राजकुमारी देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य** **आदेश**	
27/1/2013	यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञान पदाधिकारी, सदर के आदेश ज्ञापांक 333 दिनांक 3/3/2012 के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 15/11/2011 को एक जिला स्तरीय दल द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान की जाँच की गयी थी। जाँच की तिथि को दुकान बंद पायी गयी थी और कतिपय उपभोक्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि नियमित रूप से और सही मूल्य पर किरासन तेल की आपूर्त्ति नहीं की जाती है और साथ ही एक साथ दो महीनों के कूपन फाड़ लिए जाते हैं। उपभोक्ताओं ने बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं का वितरण नहीं होने का भी आरोप लगाया था। फलस्वरूप जिला पदाधिकारी के निदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता से कारणपृच्छा की गयी और प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अपना पक्ष रखते हुए अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि को उनकी दुकान बंद होने का कारण यह था कि उनके पति की तबीयत अचानक खराब हो गयी थी और उसकी चिकित्सा कराने उन्हें चिकित्सक के पास ले जाना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्ष 2011 में उन्हें मात्र पाँच बार ही बी0पी0एल0 खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हुआ था और इसलिए नियमित रूप से बी0पी0एल0 कार्डधारियों को खाद्यान्न की आपूर्त्ति नहीं की जा सकती थी। उन्होंने अन्य आरोपों को निराधार और दुराग्रह से प्रेरित बताया। परिवादी राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभिरोजक ने कहा कि जिला स्तरीय जाँच दल को कई उपभोक्ताओं की लिखित शिकायत मिली थी कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण नियमित रूप से और उचित मूल्य पर नहीं होता है। कई उपभोक्ताओं ने एक साथ कई कूपन ले लेने के आरोप भी लगाए हैं। दोनों पक्षों को सुनने तथा मूल अभिलेख का अनुशीलन करने से यह	

स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता ने निश्चित रूप से निरीक्षण तिथि को अपने पति की चिकित्सा करायी है और उन्होंने चिकित्सा पर्ची भी साक्ष्य के रूप में उपस्थापित किया है। यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2011 में उन्हें मात्र पाँच बार ही बी0पी0एल0 खाद्यान का आवंटन प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रत्येक माह खाद्यान्न के वितरण का प्रश्न ही नहीं होता है। अन्य आरोपों का परीक्षण भी साक्ष्य के आधार पर नहीं किया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में मेरा स्पष्ट विचार है कि प्रश्नगत आदेश तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल है। दुकान बंद होने के पीछे का कारण भी आकस्मिक है और अपीलकर्त्ता ने पारदर्शी तरीके से इस आशय की सूचना सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की थी, जैसा कि जाँच प्रतिवेदन पर भी अंकित है। अतः प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

17/1/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

17/1/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 291 / विधि, दिनांक 6.2.2013

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को भवदीय पत्रांक 654 दिनांक 22-6-2012 द्वारा अभिलेख संख्या- 11-02/2012 मूल में प्राप्त को मूल में संलग्न कर उक्त आदेश के अनुपालन हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक – मूल अभिलेख संख्या- 11-02/2012

ह०/-
वरीय उपसमाहर्त्ता,
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 291 / विधि, दिनांक 6.2.2013

प्रतिलिपि- एन० आई० सी० पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं पारित आदेश को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

ह० 04/02/13
वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
04/02/13